संगम काल (100-300AD): राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं धर्म

भाग:-6

डॉ विभूति भूषण
सहायक प्राध्यापक (अतिथि)

SNSRKS, कॉलेज सहरसा

प्रशासनिक व्यवस्था (Administration system)

संगम काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत संगम साहित्य है| इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दक्षिण के चोल, चेर तथा पांडय राज्यों के संदर्भ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है|

संगम कालीन प्रशासन राजतंत्र एवं वंशानुगत था| समस्त अधिकार राजा में निहित थे| वह प्रजा को संतान के रूप में मानते थे| संगम युग के इन शासकों को मन्नरम, वेन्दन, कारेवर, इरैवर तथा 'को' आदि उपाधियां मिलती थी| 'को' उपाधि से देवता को भी विभूषित किया जाता था| राजा सही अर्थों में निरंकुश होता था| इसकी निरंकुशता में विद्वानों की उक्तियों और मंत्री, कवि तथा राजा के किसी मित्र द्वारा समय-समय पर होने वाले हस्तक्षेप से कमी हो पाती थी| राजा को व्यक्तिगत आचरण में न्याय प्रिय माना जाता था| उसके कार्य को देव प्रतीक माना जाता था| जनता के हृदय में राजा का बड़ा सम्मान होता था|

राजा को महानता उसके दिग्विजय से प्राप्त होती थी| वह पक्षपात रहित होकर शासन करता था| राजा के लिए सबसे सम्मान की बात यह थी कि उसके कार्यों से ब्राह्मण को दुख ना पहुंचे| पुरननरू की कविता में चक्रवर्ती राजा का दृष्टांत मिलता है| इसी कृति में राजा की मृत्यु के बाद उसके साथी द्वारा आत्महत्या का भी उल्लेख मिलता है|

राजा के उत्तराधिकारी के बारे में स्पष्ट नियम नहीं मिलता| ऐसा माना जाता है कि बाद में शासक का पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था परंतु सत्ता के लिए आपसी संघर्ष का भी दृष्टांत मिलता है| संगम काव्य में राजा पर 5 परिषदों का नियंत्रण की बात मिलती है, जिन्हें महासभा के नाम से जाना जाता था|

राजा का पद वंशानुगत होते हुए भी पूर्ण स्वच्छंद नहीं था| उसे भी धर्म व संस्कृति के अनुसार चलना पड़ता था| राज्य में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था को नालवे कहा जाता था| यह राजा के साथ मिलकर राज्य के प्रशासनिक कार्यों को करते थे| इस काल में नगर व ग्राम के स्तर पर प्रशासन के अलग-अलग संस्थाएं होती थी| इन्हें प्रशासनिक सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर पर बांटा जाता था| मंडलम संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक निकाय थी वहीं सिरैयुर, मुदुर और अवै ग्राम सभा थे| नगरों में उर नामक सभा

न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करता था| ग्राम में पंचायतों के परामर्श से ही कानून बनाया जाता था| पोडियम ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी|

राज्य में ऐसे अनेक संस्थाओं का उल्लेख है जो चुंगी व कर लिया करते थे| राज्य की आय का प्रमुख साधन कृषि व व्यापार से प्राप्त कर थे| भूमिकर नगद व अनाज रूप में लिया जाता था| कर को उपज का 1/6 भाग लिया जाता था|

संगम काल में राजा अंतिम न्यायाधीश होता था| राजा के सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था| इसे सभी प्रकार के दंड देने का अधिकार था| उस समय दंड कठोर हुआ करते थे| प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था|

संगम काल में युद्ध को विशेष महत्व दिया जाता था| इसलिए राज्य के स्वरूप में सैन्य प्रशासन का विशेष महत्व था| प्रत्येक शासक के पास पेशेवर सिपाहियों की एक सेना होती थी| सिपाहियों को पक्षेय तथा उसके कप्तान को एनाडी की उपाधि दी जाती थी| यह उपाधि विशेष समारोह में दी जाती थी| सेना चतुरंगिनी होती थी, इसमें रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना होती थी| युद्ध क्षेत्र में संकेत के रूप में ढोल या शंख का उपयोग होता था|